6/2/17 आज यह पत्रावली कैम्प कोर्ट ढिकरोटिया में
पेश हुई। दोनों पक्षों के अभिभाषक को सुना गया।
पत्रावली में पेश शुदा रिकार्ड का अवलोकन
किया गया। कैम्प कोर्ट में पत्रावली के रिकार्ड
से बयनामा के अनुसार वादीगण का दावा
साबित होता है। अतः वादीगण का दावा डिक्री
किया जाता है। निर्णय अलग से लिखाया जाकर
शामिल पत्रावली कर सुनाया गया। पत्रावली
नम्बर से कम होकर बाद तकमील शामिल
दफ्तर की जावे। निर्णय कैम्प कोर्ट में सुनाया गया।

[signature]

उप खण्ड अधिकारी
[illegible] ([illegible])

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम
(पीठासीन अधिकारी ~~लोक अदालत~~/कैम्प कोर्ट) कैम्प.......इकरोटिया
पीठासीन अधिकारीः— विश्वामित्र मीना, आरएएस

उनवान

यादराम आदि..................बनाम..................चिरन्जी आदि

दावा बाबत..... इश्तकरारहक मय दुरुस्ती इन्द्राज बमय हुक्मइम्तनाई दवामी

अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राकाअधि01955

मुकदमा नम्बर :— 159/17.07.2012

निर्णय दिनांकः— 06.07.2017

वादी की ओर से. वादी वकील की व प्रतिवादी की ओर से. प्रतिवादी वकील व पैरोकार की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख. 06.07.02017 को मुझ विश्वामित्र मीना, आरएएस, उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम(अलवर) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है किः— विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 242/0.1800 हक्टेयर (14 बिस्वा) व 668/0.1300 हैक्टेयर (10 बिस्वा)वाके ग्राम भोजराजका तहसील कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी गण केसरी बेवा राजनारायण व चिरन्जी, सुबेसिंह पुत्रान रामनारायण के नाम दर्ज इन्द्राज को कलमजन किया जाता है। उक्त खसरा नम्बरान के सालिम रकबे पर वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी गण को उनके हक हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। प्रतिवादीगण असल 1 से 8 को हुक्मईम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी गण की अक्त आराजी में किसी भी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत पैदा ना करें। मौका व राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति कायम रखें। निर्णय कैम्प कोर्ट में लिखाया जाकर सुनाया गया।

खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगें।

यह आज तारीख....06.07.2017...को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(विश्वामित्र मीना)
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत/कैम्पकोर्ट
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.कलक्टर,कोटकासिम
कैम्प कोर्ट.......इकरोटिया

Scanned by CamScanner